अत्यावश्यक
पंचायत आम चुनाव, 2016

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

पत्र संख्या–प0 नि0 30–40/2016– 4193

प्रेषक,

दुर्गेश नन्दन,
सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

पटना, दिनांक–12 मई, 2016

विषयः– **पंचायत आम निर्वाचन, 2016 : मतगणना के संबंध में दिशा–निदेश।**

महाशय,

निदेशानुसार पंचायत आम निर्वाचन, 2016 हेतु की जाने वाली मतगणना के संबंध में अनेक प्रत्याशियों द्वारा आयोग में शिकायत पत्र भेजे गये हैं जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है/आशंका व्यक्त किया है कि प्रखंडों/अंचलों में पदस्थापित पदाधिकारियों/कर्मियों द्वारा मतगणना कार्य में उनके विपक्ष में एवं किसी प्रत्याशी विशेष के पक्ष में कार्य किया जायेगा।

2. प्रत्याशियों द्वारा आयोग में भेजे गये उक्त शिकायत पत्रों के आलोक में आयोग द्वारा आयोग के पत्रांक 3001 दिनांक 18.04.2016 के क्रम में पंचायत निर्वाचन में मतगणना हेतु निम्न दिशा–निदेश दिये गये हैं :–

(1) मतगणना के समय निर्वाची पदाधिकारी/सहायक निर्वाची पदाधिकारी के पटल पर उनकी मदद हेतु यथासंभव बैंक में कार्यरत कर्मियों/तकनीकी संवर्ग के कर्मियों को रखा जाय। **किसी भी परिस्थिति में उस अंचल/प्रखंड कार्यालय के कर्मियों या इस कार्यालय से सम्बद्ध या इन कार्यालयों से सम्बद्ध क्षेत्रीय कर्मियों को निर्वाची पदाधिकारी/सहायक निर्वाची पदाधिकारी की सहायता हेतु नहीं रखा जाय। मतगणना हेतु लॉजिस्टिक या कैटरिंग की व्यवस्था या अन्य कार्य के लिये अगर निर्वाची पदाधिकारी उस प्रखंड/अंचल के किसी कर्मी को लगाना आवश्यक समझते हैं तो वे ऐसे एक कर्मी को लगा सकते हैं जो विवादास्पद नहीं हो, किन्तु वह कर्मी भी मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा।**

327(मु0)
13.05.16

(2) सहायक निर्वाची पदाधिकारी के पद पर नियुक्त पदाधिकारी अगर प्रखंडों में लंबे समय से पदस्थापित हैं तो स्थानीय राजनीति में उनकी सक्रियता से इंकार नहीं किया जा सकता है। मतगणना तिथि नजदीक है ऐसी स्थिति में सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारियों को दूसरे प्रखंडों के सहायक निर्वाची पदाधिकारी बनाने में व्यवहारिक कठिनाई होगी। **इस संबंध में आयोग का निदेश है कि अगर संभव हो सके तो मतगणना हेतु एक प्रखंड के सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारियों को दूसरे प्रखंड में सहायक निर्वाची पदाधिकारी के कार्य हेतु नियुक्त कर दिया जाय। अगर इसमें कठिनाई आ रही हो तो वैसे सहायक निर्वाची पदाधिकारियों को जिनके विरूद्ध आयोग में या जिला में प्रत्याशियों द्वारा शिकायत दर्ज करायी गयी है या जो लंबे अरसे से (प्रायः चार वर्ष से ज्यादा) एक ही प्रखंड में पदस्थापित हैं, मतगणना कार्य हेतु उनका प्रखंड बदल दिया जाय।**

(3) मतगणना संबंधी अनुदेश पुस्तिका के अध्याय–11 के कंडिका– 10 (ख) में आयोग का यह निदेश है कि जब तक एक पद के मतों की गणना चलती रहेगी तब तक अन्य पदों के अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्त्ता तथा उनके गणना अभिकर्त्ता को मतगणना टेबल पर रहने की कोई आवश्यकता नहीं

होगी तथा उन्हें गणना हॉल के बाहर जाने के लिये कहा जा सकता है। इस संदर्भ में भी कतिपय प्रत्याशियों द्वारा आयोग में यह आपत्ति दी गयी है कि उन्हें या उनके निर्वाचन अभिकर्त्ता तथा गणना अभिकर्त्ता को मतगणना कक्ष से बाहर कर दिये जाने की स्थिति में मतगणना कर्मियों द्वारा उनके पक्ष में डाले गये मतों में हेराफेरी की जा सकती है। **विचारोपरांत आयोग द्वारा निदेश दिया गया है कि जिन पदों की गणना समाप्त हो जायेगी एवं निर्वाचन परिणाम घोषित कर दिया जायेगा उन पदों के प्रत्याशियों / निर्वाचन अभिकर्त्ता / गणन अभिकर्त्ता को ही मतगणना कक्ष से बाहर जाने के लिये कहा जायेगा। जिन पदों की गणना बाकी है उनके प्रत्याशियों / निर्वाचन अभिकर्त्ता / गणन अभिकर्त्ता को मतगणना कक्ष छोड़ने के लिये बाध्य नहीं किया जायेगा।**

(4) गत पंचायत निर्वाचन के समय आयोग में अनेकों ऐसे शिकायत पत्र दर्ज कराये गये थे जिसमें जिक्र किया गया था कि पुनर्गणना का अभ्यावेदन देने पर निर्वाची पदाधिकारी द्वारा सुरक्षा बलों से उनकी पिटाई कराकर उन्हें मतगणना परिसर से बाहर कर दिया गया। ऐसी भी शिकायतें दर्ज करायी गयी थी कि किसी मतगणना कर्मी के आचरण की शिकायत करने पर भी उनकी पिटाई कराकर मतगणना परिसर से बाहर करा दिया गया था। **इस संबंध में आयोग का सख्त निदेश है कि अगर कोई प्रत्याशी पुनर्गणना का आवेदन देता है तो उसे निर्वाची पदाधिकारी द्वारा उसे अवश्य प्राप्त किया जायेगा एवं प्राप्ति रसीद दी जायेगी। इसके पश्चात पुनर्गणना के अनुरोध को स्वीकार किये जाने या अस्वीकार किये जाने के संबंध में शीघ्र युक्तियुक्त आदेश पारित कर अभिलेख में सुरक्षित रख लिया जायेगा। अगर अनुरोध अस्वीकार किया जाता है तो मतगणना परिणाम घोषित कर निर्वाचित व्यक्ति को निर्वाचन प्रमाण पत्र हस्तगत करा दिया जायेगा। अगर अनावश्यक बल प्रयोग का मामला आयोग के सामने आता है तो आयोग जांचोपरांत आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई कर सकता है।**

अनुरोध है कि आयोग के उक्त निर्णय से सभी संबंधित को अविलंब अवगत करा दिया जाय।

विश्वासभाजन,

सचिव

ज्ञापांक 1120 दिनांक -13.05.16

प्रतिलिपि: वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा / नोडल पदाधिकारी विधि व्यवस्था कोषांग / नोडल पदाधिकारी प्रेक्षक कोषांग / नोडल पदाधिकारी प्रशिक्षण कोषांग / नोडल पदाधिकारी कार्मिक कोषांग / नोडल पदाधिकारी [illegible] कोषांग / नोडल पदाधिकारी आई० टी० कोषांग / नोडल पदा० मीडिया कोषांग / सभी निर्वाची पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी सदर / बेनीपुर / बिरौल / सभी निर्वाची पदाधिकारी-सह-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी दरभंगा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह० 13/5/16

जिला पंचायत राज पदा० दरभंगा

13/5/16